

डिक्री व मुकदमा इत्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

बईजलास श्री मुकेश कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

मनीष मुतबन्ना केलाश कुम्हार अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षक नन्द लाल पिता सोहनलाल कुम्हार निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा

— वादी

बनाम

- 1- नन्द लाल पिता सोहनलाल कुम्हार निवासी मुण्डेता
- 2- श्रीमति सीता पुत्री माधू लाल कुम्हार निवासी सांखडा हाल निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा
- 3- लादू पिता गंगाराम कुम्हार निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा
- 4- भेरू पिता कल्याण नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता नन्दू पत्नी कल्याण कुम्हार निवासी मुण्डेता
- 5- आशाराम पिता कल्याण नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता नन्दू पत्नी कल्याण कुम्हार निवासी मुण्डेता
- 6- सुश्री हंसा पुत्री कल्याण नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता नन्दू पत्नी कल्याण कुम्हार निवासी मुण्डेता
- 7- इन्दरा पुत्री कल्याण नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता नन्दू पत्नी कल्याण कुम्हार निवासी मुण्डेता
- 8- नन्दू बेवा कल्याण कुम्हार निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा
- 9- जगदीश पिता गंगाराम कुम्हार निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा
- 10- खाना पिता मोती कुम्हार निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा
- 11- मीठू पिता मोती कुम्हार निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा
- 12- उगमा पिता मोती कुम्हार निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा
- 13- तहसीलदार शाहपुरा बहेसियत भूधारक शाहपुरा

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र : स्थायी निषेधाज्ञा सर्वकालीन व आज्ञात्मक निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 61 सन् 2018 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई वX मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी जाकर खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 29 माह 01 सन् 2024 को जारी की गई।

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा